मेरठ विकास प्राधिकरण

की

७४ वीं बोर्ड बैठक दिनांक २३.०१.२००६

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–1–06 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–1–06 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे प्रारम्भ हुई । सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थेः–

1– श्री मोहिन्दर सिंह — अध्यक्ष
आयुक्त
मेरठ मण्डल मेरठ।

2– श्री रामकृष्ण — उपाध्यक्ष,
जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष,
मे0वि0प्रा0,मेरठ।

3– श्री राजेन्द्र प्रसाद — सदस्य
नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।

4– श्री कृपाल सिंह, — सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ।

5– श्री ज्ञानसिंह, — सदस्य
अपर निदेशक–कोषागार एवं पेशन,

6– श्री रणधीर सिंह, — सदस्य
उप महाप्रबन्धक, विधुत (नगरीय)

7– श्री आर0के0 अग्रवाल, — सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता,
(प्रतिनिधि–आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ)

8– श्री राजपाल कौशिक, — सदस्य
सहयुक्त नियोजक
(प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उ0प्र0)

9– श्री राजकुमार यादव, — सदस्य
शासन द्वारा नामित।

10– श्री श्री निवास जोगी — सदस्य
शासन द्वारा नामित।

11– श्री मंगल सैन, — सदस्य
पार्षद नगर निगम, मेरठ।

12– श्री राजकुमार सिंह, — सदस्य
पार्षद नगर निगम, मेरठ।

13– मौ0 अब्बास, — सदस्य
पार्षद नगर निगम, मेरठ।

14– मौ0 जाहिद अन्सारी — सदस्य
पार्षद नगर निगम, मेरठ।

15– श्री सतीश कुमार , — संयोजक
सचिव, मे0वि0प्रा0, मेरठ।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष द्वारा कई पत्र लिखने के बावजूद शासनादेशों के अनुसार 03 माह के अन्तराल पर बोर्ड बैठक न बुलाये जाने पर और स्पष्ट आदेशों के बावजूद इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और उपाध्यक्ष से अपेक्षा की गयी कि वें स्वयं इस विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

मद सं0 1–प्राधिकरण की 73 वीं0 बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–05 के कार्यवृत्त की पृष्टि।

प्राधिकरण की 73 वीं0 बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–05 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में सचिव ने अवगत कराया कि किसी भी मा0 सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, तदोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं0 2–प्राधिकरण की 73 वीं0 बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या पर विचार।

प्राधिकरण की 73 वीं0 बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया, विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

1– **गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित 4 भवनों को खाली कराया जाना–** बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया। पल्लवपुरम, शताब्दी नगर, पांडवनगर एवं श्रद्धापुरी आदि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में प्राधिकरण के भवनों को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराने हेतु अभी तक की गयी असंतोषजनक कार्यवाही पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि सघन अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों से एक माह के अन्दर भवनों को खाली कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष इस कार्य में लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करें और उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा आख्या एक माह उपरान्त अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

2– **प्राधिकरण की अर्जित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाना**–लोहियानगर आवासीय योजना में मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे से भूमि को खाली कराये जाने का संज्ञान लिया गया लेकिन अन्य योजनाओं में इस दिशा में कोई कार्यवाही न होने पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा समस्त भूमि को एक विशेष अभियान चलाकर तत्काल कब्जा मुक्त कराने हेतु निर्देश दिये गये तथा असन्तोष व्यक्त किया गया कि गत दिनों मा0 मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान भी इस प्राधिकरण में बहुत कम प्रगति हुई, जबकि इस प्राधिकरण की सबसे अधिक भूमि अवैध कब्जे में है। इसके लिए उपाध्यक्ष लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों का स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित करे और उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें और अनुपालन आख्या एक माह उपरान्त अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

बोर्ड द्वारा सभी योजनाओं में अर्जित भूमि के नक्शा 11 का गाटावार विवरण कम्पयूटर में फीड कराने तथा उसका मिलान एवं सत्यापन करने के कार्य की अब तक की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया और निर्देशित किया गया कि सचिव, इसे स्वयं 15 दिन में पूर्ण कराकर आख्या उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

3– **अवैध रूप से बने विवाह मण्डपों के बारे में कार्यवाही**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और विवाह मण्ड़पों के सम्बन्ध में बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 08 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद, प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस कार्य हेतु पुलिस बल उपलब्ध न होने का लगातार गलत बहाना बनाया जा रहा है। ऐसा किया जाना सम्बन्धित अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिछलें कई महीनों से जिलाधिकारी, मेरठ स्वयं उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण का कार्य भी देख रहे है, अतः पुलिस

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

बल उपलब्ध न होने की निराधार बहाने बाजी इससे भी स्पष्ट हो जाती है। पुनः अपेक्षा की गयी कि जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इस अति महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं अपनी देख–रेख में 15 दिन में कराना सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक विवाह मण्डप के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर आख्या अध्यक्ष के अवलोकनार्थ 15 दिन में प्रेषित करेंगे। अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उपाध्यक्ष लिखित चेतावनी भी निर्गत करेंगे, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली पर भी रखी जायेगी। इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया गया कि जिन विवाह मण्डपों का निर्माण नियमानुसार प्राधिकरण से नक्शा पास करवाने के उपरान्त किया गया है, उनके द्वारा भी नक्शा पास करने में लगायी गयी शर्तों, विशेष रूप से आवश्यक "सैट बेक्स" छोड़ने, पार्किंग की मण्डप की अन्दर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और सार्वजनिक मार्गों पर पार्किंग न करने और अन्य सामान इत्यादि न रखने की शर्तों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे विवाह मण्डपों के विरूद्ध नियमानुसार कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपेक्षा की गयी कि सचिव, प्रधिकरण स्वयं सभी विवाह मण्डपों की आकस्मिक चैंकिग करवाकर, इन मण्डपों को दी गयी अनुमति में लगायी गयी शर्तों का प्रभावी अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित करेंगे और विवाह मण्डपवार अपनी आख्या उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे।

4– **मेरठ महायोजना–2021 की स्वीकृति विषयक**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा महायोजना की शीघ्र स्वीकृति के लिये पुनः एक अनुरोध पत्र शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

5– **हर्षनगर आवासीय योजना के आवंटी से अवशेष धनराशि वसूल किये जाने विषयक**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड ने

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा **"बकायादार जनपद से बाहर का होने"** की आख्या के साथ वसूली प्रमाण पत्र वापस करनें की कार्यवाही पर आपत्ति की और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिये। मा0 सदस्यों द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री अनिल वाडिया डायरेक्टर मैसर्स जय कृष्ण स्टेट डवलपर्स प्रा0 लि0 की सम्पत्ति/कार्यालय इस क्षेत्र के लगभग सभी जनपदों में स्थित है। इस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि वसूली की कार्यवाही हेतु वसूली पत्र पुनः जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाये और बकाया की वसूली स्थानीय स्तर पर स्थित सम्पत्ति से कराया जाना जिलाधिकारी, मेरठ स्वयं सुनिश्चित करें व कृत कार्यवाही से एक माह में अध्यक्ष को सूचित करें।

6– **गंगानगर विस्तारीकरण आवासीय योजना में प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने विषयक**–गगांनगर आवासीय योजना में हुये समझौते के आधार पर अवशेष 204.912 एकड क्षेत्रफल के लिंये भी समझौता करने विषयक प्रस्ताव की बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

7– **गंगानगर विस्तार योजना की 204.912 एकड भूमि बल्क में विकय किये जाने विषयक**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा इस भूमि से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित दोनो स्थगन आदेशो को अतिशीघ्र निरस्त करने हेतु सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं सुनिश्चित करते हुए निर्देशित किया गया, जिससे कि भूमि का समय से निस्तारण किया जा सके। स्थगन आदेशो को निरस्त कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के अधिवक्ता को पत्र भी लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

8– **विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पैरीफेरियल डवलपमेन्ट/विकास शुल्क के सम्बन्ध में**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा अभी तक समुन्नत प्रभार हेतु विधि/उपविधि

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

तैयार न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा बैठक में उपस्थित मुख्य नगर नियोजक को निर्देशित किया गया कि सम्मुन्नत प्रभार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 28.02.2006 तक नियम तैयार कर प्रस्तुत करें। वाह्य विकास एवं अन्य शुल्कों का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं नीति के अनुसार किया जाये। मुख्य नगर नियोजक द्वारा यह कार्यवाही 28.2.2006 तक पूर्ण कर प्रस्ताव सचिव, उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।

9– **गंगानगर आवासीय योजनान्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये कि लोहियानगर योजना में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ कराया जाये।

10– **सैनिक बिहार,पल्लवपुरम,श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय, शताब्दीनगर तथा डा0 राममनोहर लोहियानगर आवासीय योजनाओं में स्थित अलोकप्रिय भवनों के आवंटन का प्रस्ताव**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा निर्देश दिये गये कि सैनिक बिहार आवासीय योजना में आर0ए0एफ0 से रिक्त कराये गये 86 भवनों को बल्क में या फुटकर में निविदा–सह–नीलामी आधार पर विक्रय किया जाये । अन्य योजनाओं में भी भवनों की कास्टिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर तथा मौके पर अवैध कब्जे से मुक्त कराकर निविदा–सह–नीलामी पद्धति से नियमानुसार विक्रय किया जाये। बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित भवनों में उपयोग की गयी निर्माण सामग्री, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा अनावश्यक रूप से अत्यधिक भवनों का निर्माण किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उपाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों की स्पष्ट रूप से

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

जिम्मेदारी निर्धारित कर उनसे वसूली की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इन भवनों की इनवैन्ट्री बनाकर इसके नियमानुसार विक्रय हेतु अधिकारियों की नाम से ड्यूटी लगायी जाये। बोर्ड के संज्ञान में यह लाये जाने पर कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित दुकाने नही बिक पा रही है, और इन दुकानों की भौतिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, यह निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष स्वयं इसके लिए स्पष्ट समय सारिणी निर्धारित कर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही करें और स्पष्ट आख्या आगमी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

11– **मेरठ नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सरल बनाने हेतु मेवला फाटक एवं कंकर खेडा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये गये कि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आर0ओ0बी0 बहुत आवश्यक है। आर0ओ0बी के बारे में रेलवे मन्त्रालय एवं राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है और नगर विकास विभाग इसके लिए संयोजक विभाग है। आर0ओ0बी0 के लिए रेलवे मन्त्रालय के पास पर्याप्त बजट है। इस कार्य की विशिष्ट जिम्मेदारी मुख्य नगर नियोजक को सौपते हुये निर्देश दिये गये कि रेलवे बोर्ड एवं नगर विकास विभाग से सम्पर्क कर योजना तैयार की जाये तथा रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की योजना को "अर्बन रिन्युवल मिशन" में सम्मिलित करने पर भी नियमानुसार विचार कर लिया जाये। मुख्य नगर नियोजक को निर्देशित किया गया कि वह स्वयं विशिष्ठ कार्य योजना 28.2.2006 तक तैयार कराकर उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

12– **विजन स्टेटमेन्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का कियान्वयन**–बोर्ड द्वारा विजन स्टेस्टमेन्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में चिन्हित किये गये विभिन्न

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

20 कार्यो की अनुपालन आख्या का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देश दियेः–

मद सं0 1,2 एवं 5 के बारे में निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित बाईपास मार्ग के लिए भूमि का शीघ्र नियमानुसार अर्जन किया जाये। चूकि उक्त भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना के लिए न होकर एक अति महत्वपूर्ण लोक उद्देश्य के लिए है, अतः इसकी अनुमति के लिये शासन से विशेष अनुरोध किया जाये।

मद सं0 3. आवास विकास परिषद को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 4. बागपत मार्ग से रेलवे स्टेशन मार्ग को जोडने वाले प्रस्तावित लिंक मार्ग हेतु सब ऐरिया कमान्डर (मेरठ कैन्ट) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु की गयी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया और निर्देश दिये कि सचिव प्राधिकरण स्वयं अधिक प्रयास कर अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रस्तावित लिंक रोड को मकबरा डिग्गी तक जोडने का प्रस्ताव भी सम्मिलित करने हेतु निर्देश दिये गये।

मद सं0 6. आवास विकास परिषद द्वारा हापुड रोड से एल ब्लाक तक सडक निर्माण पूरा न करने और डिवाईडर न बनाने पर असन्तोष व्यक्त किया और निर्माण कार्य की टी0ए0सी से जांच कराने के निर्देश दिये। सरधना रोड के चौडीकरण का कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस मद के अन्तर्गत अन्य कार्यो को भी नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 7,8,9,10,11,12 एवं 18 के सम्बन्ध में नगर निगम से समुचित आख्या प्राप्त न होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि मद सं0 7,8 एवं 9के कार्य जवाहर लाल नेशनल अर्बन

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,

रनिन्युवल मिशन योजना में शामिल कर लिये गये है। बिन्दु सं0 9 पर नाले के कार्य का विस्तार काली नदी तक करने के निर्देश दिये गये। निर्देश दिये गये कि अन्य आवश्यक कार्यो को भी उक्त योजना में शामिल करने पर नियमानुसार विचार कर लिया जाये।

मद सं0 13. अवस्थापना निधि बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव तत्काल तैयार कर प्रस्तुत किया जाये तथा अभी तक कार्यवाही न करने के लिए उपाध्यक्ष स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करें।

मद सं0 16. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मै0 फीड बैक एजेन्सी से कराये जा रहे "फिजिबिलिटी स्टडी" की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया और निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा अभी तक किये गये कार्य का सही–2 मूल्यांकन कर इनके साथ अनुबन्ध को समाप्त करने सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही एक माह में सुनिश्चित की जाये।

मद सं0 14,15 व 17 इस मद में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये कि मेरठ महायोजना–2021 की स्वीकृति प्राप्त होने पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाये।

मद सं0 19. भोला की झाल से मेरठ नगर को जलापूर्ति हेतु "फिजिबिलिटी स्टडी" तत्काल पूरा कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम को निर्देशित किया गया।

मद सं0 20 इस मद के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थलो पर लगाई गई "सिगनल लाईटों" एवं "बिल्किन्ग लाइटो" का भौतिक सत्यापन कर मालूम किया जाये कि उक्त लाईटे अभी तक कार्य कर रही है या नहीं तथा 15 दिन में रिपोर्ट उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को प्रेषित की जाये। महानगर में खराब यातायात व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा हापुड़ स्टैन्ड एवं एल ब्लाक तिराहे को भी यातायात सुधार योजना में शामिल करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये कि यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु सभी

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

सम्बन्धित विभागो की स्वयं बैठक बुलाकर एक स्पष्ट एक्शन प्लान तैयार कर लें तथा उसका नियमानुसार कियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि महानगर की यातायात व्यवस्था में अपेक्षित सुधार शीघ्र परिलक्षित हो सके। प्रगति एक माह में अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाये।

13– **दौराला क्षेत्र की महायोजना तैयार कराने विषयक**–बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। मुख्य नगर नियोजक को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वह दौराला महायोजना का प्रारूप 15 मार्च 2006 तक पूर्ण कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाना स्वयं सुनिश्चित करें। मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि नेशनल रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद से "इमेजरी" नहीं प्राप्त हो पायी थी, अतः अब भौतिक सर्वे कराया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण हैं। यह भी निर्देश दिये कि मुख्य नगर नियोजक द्वारा स्वयं वर्ष 2003 में की गयी दौराला क्षेत्र की वीडियोग्राफी से वर्तमान निर्माण कार्यो की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाये और जितने अनाधिकृत निर्माण हुए है, प्रत्येक के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये व रिपोर्ट उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को 28.2.2006 तक प्रेषित की जाये।

14–**अविकसित सम्पत्तियों के लोआउट तैयार कर उन्हें विक्रय किये जाने विषयक**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। समस्त अविकसित सम्पत्तियों के ले–आउट 15 दिन में तैयार कर सम्पत्तियों का नियमानुसार निस्तारण त्वरित गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

15– **अर्जित भूमि से सम्बन्धित ग्रामों में विकास को प्राथमिक्ता दिये जाने विषयक**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा विकास कार्यो को त्वरित गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। बोर्ड ने जानना चाहा कि उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में अभी तक क्या–2 कार्य,

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

कितनी–2 धनराशियों के, किये जा चुके है और इस मद में कितनी धनराशि अवशेष है। इसकी आख्या 02 सप्ताह में उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाये।

16– **विधि अनुभाग में वादों की अध्यावधिक स्थिति/स्टेटस रिर्पोट**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा निर्देश दिये गये कि विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शित करना चाहिए कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रत्येक स्थगनादेश में कितनी–2 भूमि अन्तर्गस्त है और उसका कितना बाजार मूल्य है। अधिवक्तावार समीक्षा कर उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाये कि यह स्थगन आदेश कब से प्रभावी चल रहे है और अभी तक इनके निरस्त न होने के क्या कारण है। लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिवक्ताओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को अपर्याप्त पाया गया और निर्देश दिये कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादो की पाक्षिक समीक्षा कर अधिवक्ताओं और विधि लिपिको/पैरोकारों के कार्यो का मूल्यांकन किया जाये और लापरवाह/शिथिल अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता से सम्बन्धित वादों में कितनी भूमि एवं कौन सी भूमि सम्मिलित है, का विवरण भी तैयार किया जाये। वादों संबंधी समस्त सूचना का कम्प्यूटरीकरण अविलम्ब पूर्ण कर वादों का प्राधिकरण हित में निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाये।

17– **सैनिक बिहार आवासीय योजना मे स्थिति अलोकप्रिय भवनों की हडकों से प्राप्त कास्टिंग का अनुमोदन एवं उक्त भवनों को निविदा सहनीलामी पद्वति से बल्क में आवंटन का प्रस्ताव**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा हडको द्वारा की गई कास्टिंग को अनुमोदित करते हुये भवनों का निस्तारण अलग–अलग और ब्लक में निविदा– सह–नीलामी पद्वति से नियमानुसार किये जाने और जिस पद्धति से प्राधिकरण को अधिक आय हो, वह अपनाने, का निर्णय लिया गया तथा

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

यह भी निर्देशित किया गया कि भवनों की खराब स्थिति के लिये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये और अनुपालन आख्या एक माह में उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को प्रेषित की जाये।

18– **डिप्लोमा इन्जी0 संघ के सदस्यों का पेंट्रोल भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध मे**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

19– **मेरठ हापुड मार्ग पर ग्राम शाकरपुर एवं बुढ़ेरा जाहिदपुर में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में**–बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या एवं समिति की निरीक्षण आख्या का अवलोकन किया गया और यह बताये जाने पर कि इस क्षेत्र में प्राधिकरण के पास बडी मात्रा में अभी भी व्यवसायिक भूमि विक्रय हेतु अवशेष है और शासन द्वारा और भूमि अधिग्रहण करने पर रोक लगा रखी है, प्रश्नगत भूमि को अर्जित न किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण कार्यो को प्रभावी ढंग से रोका जाये और इसके लिए सम्बन्धित जोन के जोनल अधिकारी को नाम से जिम्मेदार ठहराया जाये।

प्राधिकरण की 74 वीं0 बोर्ड बैठक के प्रस्तावों पर विचार

मद सं0 3– गंगानगर विस्तार योजना के 204.912 एकड क्षेत्रफल के कृषकों से अतिरिक्त प्रतिकर भूगतान समझौते के सम्बन्ध में।

सचिव प्राधिकरण द्वारा बताये जाने पर कि आज भी सभी कृषक इस समझौते को मानने के लिए तैयार है, बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि योजना के अन्तर्गत उस भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर वितरित को प्राथमिकता दी जाये, जिसमें तत्काल विकास कार्य किये जाने है तथा जिस भूमि में आवंटन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

मद सं0 4–बोर्ड बैठक की अनुमति से स्वीकृत किये जाने वाले भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में समिति की रिर्पोट के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर विचार

विचारोपरान्त तीनों मानचित्र निरस्त किये गये और असंतोष व्यक्त किया गया कि मानचित्र की विधिवत् स्वीक्रृति का प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व ही कर लिये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह भी जानकारी चाही गयी कि महायोजना–2001 एवं महायोजना–2021 के अनुसार इस प्रकार के अन्य कितने मानचित्र लम्बित है और कितने भवन निर्माणकर्ताओं द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व ही अनाधिकृत निर्माण किये जा चुके हैं। इन सभी अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जोनल अधिकारियों को नाम से जिम्मेदार ठहराने के निर्देश भी दिये गये।

मद सं0 5–मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर आवासीय योजना में 191.46 एकड (आवासीय बल्क) भूमि व 17.66 एकड व्यवसायिक बल्क भूमि, शताब्दीनगर में 224.398 है0 आवासीय बल्क तथा 129500 वर्ग मी0 (32 एकड) व्यवसायिक बल्क एवं वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में 61152 वर्ग मी0 आकार के 2 व्यवसायिक बल्क भूखण्ड के विकय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

वेद व्यासपुरी योजना के दोनो व्यवसायिक बल्क भूखण्डो को छोडकर प्रस्ताव में सम्मिलित अन्य सभी बल्क भूखण्डो का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बल्क भूमि आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का अनुपालन सचिव व उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जाये। वेदव्यासपुरी योजना के प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों के बारे में जानकारी चाही गयी कि विभिन्न भूउपयोग में कार्यालय एवं ग्रुप हाउसिंग कियायें अनुमन्य किये जाने के लिये शासन की क्या नीति है। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

लिया गया कि प्राधिकरण की लोकप्रिय योजनाओं में, जहॉ भी भूखण्डों की मॉग अधिक है, आवासीय भूखण्डों का आवटन भी नीलामी पद्वति से किया जाये।

मद सं0 6–शासन द्वारा निर्गत आदेशों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव में उल्लिखित शासनादेशों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 7–मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 14 अनाधिकृत कालोनियों के नियमीतिकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया। जानकारी चाही गयी कि प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत कुल कितनी अवैध कालोनियां है और कितनी कालोनियों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा केवल 14 कालोनियों का ही प्रस्ताव किस आधार पर रखा गया है। निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने अवैध कालोनियों का निर्माण किया है, उनके विरूद्ध तथा समकालीन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जाये। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि केवल उन्हीं कालोनियां का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत भवन स्वामियों द्वारा शमन शुल्क इत्यादि जमा कराने की लिखिति सहमति दे दी गई हो। यह भी निर्देश दिये गये कि अवैध कालोनियों के निमार्ण कार्यो पर प्रभावी अक्कुंश लगाया जाये तथा लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

मद सं0 8–मा0 मुख्य मन्त्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के परिपेक्ष्य में वर्ष–2005–06 में प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को नियमानुसार पूर्ण कराया जाये। निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण की काफी सम्भावनाए हैं, अतः व्यापक सर्वेक्षण कराकर वृक्षारोपण कराया जाये। प्राधिकरण अपनी सभी योजनाओं में तथा वन विभाग से परामर्श कर, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित करें। पूर्व में रोपित वृक्षों में से जीवित वृक्षों की संख्या तथा उनके अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था का विवरण और

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतो की जांच आख्या एक सप्ताह में तैयार कर उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें। प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण में प्रति पौधा व्यय अधिक होने और प्रतिकूल मौसम में बिना वन विभाग के नियमों का पालन कर वृक्षारोपण पर धन के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि विभिन्न कालोनियों के नागरिकों, रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशनों को प्रोत्साहित कर वृक्षारोपण का अधिकाधिक कार्य श्रमदान से कराने के प्रयास किये जाये।

मद सं0 9–मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी, एवं लोहियानगर योजनाओं में अधिग्रहीत भूमि के कास्तकारों को रू0 165.00 प्रति वर्ग गज से अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने सम्बन्धी समझौता दिनांक 4–7–05, वेदव्यासपुरी योजना के कास्तकारों को अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किये जाने सम्बन्धी समझौता दिनांक 8–8–05 तथा शताब्दीनगर एवं लोहियानगर के कास्तकारों को भी अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि एक मुश्त दिये जाने सम्बन्धी समझौता दिनांक 12–9–05 मा0 बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

बोर्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित समझौतों का अवलोकन कर इन सभी का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बोर्ड द्वारा इस 15 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित कार्य को प्राधिकरण हित में सम्पादित करावाने के लिए प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों का धन्यवाद किया गया और इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की गई कि इस समझौते से न केवल प्राधिकरण द्वारा पूर्व वर्षों में भूमि अधिग्रहण में वितरित की गयी करोडों रूपये की धनराशि से सम्बन्धित भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त हो जायेगा और विकास कार्य व बिक्री शुरू हो सकेगी, बल्कि 165/–रू0 प्रति वर्ग गज से अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के इस समझौते से, जो इन्हीं योजनाओं में इसी भूमि से सम्बन्धित 250/–रू0 प्रति वर्ग गज से भी अधिक अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के पूर्व में किये गये लिखित समझौतों से कही कम दर पर किया गया है, प्राधिकरण को करोड़ों रूपये की बचत होगी। बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

समय–समय पर शासन को भेजी गयी सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए, पुनः उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण प्रगति से शासन को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक मद सं0 1–शताब्दीनगर,लोहियानगर एवं वेदव्यासपुरी आवासीय योजनाओं में अतिरिक्त प्रतिकर का किसानों से रूपये 165/– प्रति वर्ग गज का समझौता होने के फलस्वरूप किसानों को दिये जा रहे अतिरिक्त प्रतिकर की आवंटियों से वसूली हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर इसे शासनादेशों के अनुसार पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुपूरक मद सं0 2–मेरठ विकस प्राधिकरण द्वारा आवटित आवासीय/व्यवसायिक/आवासीय बल्क/व्यवसायिक बल्क परिसम्पत्तियों के निमित्त आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर □शत प्रतिशत भुगतान करने वाले आवंटियों को सम्पत्तियों के मूल्य का 5 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रस्ताव ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया। इस प्रकार का वित्तीय प्रस्ताव वित्त नियन्त्रक से परामर्श लिये बिना बोर्ड में प्रस्तुत करने पर आपत्ति की गयी तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव अधूरी अथवा गलत सूचनाओं के आधार पर अथवा प्राधिकरण के हित के विरूद्ध अथवा शासनादेशों के विरूद्ध प्रेषित किया जाता है, तो उसके लिए सचिव प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

अनुपूरक मद सं0 3–मेरठ स्थित डा0 भीमसव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विस्तार एंव एयर बस के कियान्वयन / संचालन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुये यह निर्देशित किया गया कि पहले नागरिक उड्डयन विभाग से सम्पर्क कर हवाई अड्डे के विस्तार हेतु विचार विमर्श किया जाये। यदि हवाई अड्डे के निर्माण एवं संचालन की सम्भावना पायी जाती है, तभी विस्तृत

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

अध्ययन कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग की लिखित सहमति प्राप्त करके आगामी बोर्ड बैढक में प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक मद सं0 4–मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर आवासीय योजना के बीच–2 में पडने वाली वन विभाग की भूमि को एक ओर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में पहले वन विभाग से विचार विमर्श कर उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर जी जाये। वन विभाग की सहमति के उपरान्त ही प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

अनुपूरक मद सं0 5–रक्षापुरम आवासीय योजना के सैक्टर 2 में ए0डब्लू0एच0 ओ0 को पीछे प्राधिकरण की लगभग 31717 वर्ग मी0 भूमि पर पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में ए0डब्लू0एच0 ओ0 के प्रस्ताव पर विचार ।

विचरोपरान्त कोई अन्य बेहतर विकल्प प्राधिकरण हित में न होने के कारण, प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और निर्देश दिये कि ए0डब्लू0एच0ओ0 का नक्शा पास करते समय प्राधिकरण की इस भूमि के लिए पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में स्पष्ट स्थिति सम्बन्धित नक्शें पर न उल्लिखित करने के लिए उस समय के मुख्य नगर नियोजक व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की नाम से जिम्मेदारी निर्धारित की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण, जो अतिरिक्त भूमि इस समय मजबूरन ए0डब्लू0एच0ओ0 को देनी पड़ रही है, इससे यदि कोई वित्तीय क्षति प्राधिकरण को होती है तो उसकी वसूली उन सम्बन्धित अधिकारियों से नियमानुसार की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि सचिव एवं मुख्य नगर नियोजक संयुक्त रूप से प्राधिकरण की सभी योजनाओं का परीक्षण कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं पर भी प्राधिकरण की कोई भूमि ऐसी नहीं है, जिस पर पहुँचने के लिए समुचित सार्वजनिक रास्ते का प्राविधान न हुआ हो और यदि किसी येाजना में ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित

उपाध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

अध्यक्ष

जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध भी उपरोक्तानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इन आदेशों की अनुपालन आख्या सचिव दिनांक–28.2.2006 तक उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

अनुपूरक मद सं0 6–प्राधिकरण की रक्षापुरम योजनान्तर्गत ग्राम कसेरू बक्सर के गाटा सं0 430 व 431 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि तद्नुसार मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को भी अवगत करा दिया जाये।

अनुपूरक मद सं0 7–शताब्दीनगर योजना हेतु अर्जित भूमि के सापेक्ष कृषकों द्वारा प्रतिकर वृद्धि हेतु योजित सन्दर्भ वादों के निस्तारण उपरान्त ही की जाने वाली समझौता प्रकिया के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में विधिक राय लेकर विस्तृत परीक्षण कर लिया जाये और इसके सभी भौतिक, विधिक वित्तीय पहलुओं का सक्षम परीक्षण कर विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रेषित की जाये।

अनुपूरक मद सं0 8–वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में अन्सल लैण्ड मार्क टाउन शिप प्रा0 लि0 संस्था को विकत भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों का नियमानुसार स्वयं परीक्षण कर उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण हित व जनहित में सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रेषित किया जाये ।

अनुपूरक मद सं0 9–स्पोर्टस गुडस योजनान्तर्गत विकय बल्क भूखण्डों का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्पष्ट न होने के कारण स्थगित किया गया। यह भी जानकारी चाही गयी कि मेरठ महायोजना–2001 तथा मेरठ महायोजना–2021 में प्रस्तावित मार्गों की चौडाई के सम्बन्ध में शासनादेशों का अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो शासन का मार्गदर्शन

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

प्राप्त कर, प्राधिकरण व जनहित में सक्षम स्तर पर स्पष्ट निर्णय लिये बिना ही, इन भूखण्डों की बिक्री के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है। इस प्रस्ताव में उल्लिखित समस्या पर सक्षम स्तर से नियमानुसार स्पष्ट संस्तुति करवाकर स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रेषित करने हेतु उपाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 10—मेरठ महायोजना—2021 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया और निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर, प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक मद सं0 11—ग्राम कसेरू बक्सर स्थित गाटा सं0 337 क्षेत्रफल 0—11—8 बीघा भूमि के सम्बन्ध में श्री □शाबूदिन पुत्र मल्लू, कबीर पुत्र अयूब,तोसिफ पुत्र फरीद, राजपाल सिंह स्व0 श्री खजान सिंह ,राजेन्द्र पुत्र रिडकु सिंह, श्रीमती कृपाली पत्नी श्री रामनिवास, श्रीमती ममता पत्नी श्री रामभगत सिंह, विजयपाल सिंह , सतबीरी पत्नी रामलाल जाटव, राजीव कुमार पुत्र जयकरण, लक्ष्मण पुत्र जयकरण द्वारा दिनांक 20—12—05 को मो0अब्बास, सदस्य प्रदेश कार्यकारणी समाजवादी पार्टी को दिये गये प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में

विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनुपूरक मद सं0 12—दिनांक 15—1—06 तक प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुये प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में सुधार पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उपलब्ध सम्पत्तियों का नियमानुसार त्वरित रूप से निस्तारण करें एवं अनावश्यक व्यय पर नियन्त्रण कर, दिनांक 31.03.2006 तक वित्तीय स्थिति में और सुधार लाया जाये।

उपाध्यक्ष

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

अध्यक्ष

अनुपूरक मद सं0 13–प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सै0 5 में डब्लू0एच0ओ0 को आवंटित 30 एकड भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 1–4–02 को आयोजित बैठक के सम्बन्ध में

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय–

1– उपस्थित सदस्यों द्वारा शिकायत की गयी कि प्राधिकरण की अत्यन्त कठिन वित्तीय स्थिति होने के बावजूद प्राधिकरण के कार्यालयों में साज–सज्जा, रख–रखाव और कार्यालय की मरम्मत इत्यादित में अनावश्यक रूप से बहुत अधिक व्यय किया गया है। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गयी कि वह पिछले पांच वर्षों में इन मदों पर हुए व्यय की सूचनाएं संकलित करवाकर, इनकी आवश्यकता का स्वयं परीक्षण कर लें और यदि अनावश्यक व्यय किये गये हैं, तो उसके लिए स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें और आख्या दिनांक 28 फरवरी 2006 तक अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

2– निर्णय लिया गया कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 04 बोर्ड बैठकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की आगामी बैठक 20 मार्च, 2006 को प्रातः 11.00 बजे, सभाकक्ष आयुक्त कार्यालय, में आमन्त्रित की जाये। आठ माह का लम्बा समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, बोर्ड की 31.5.2005 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रभावी कार्यवाही न होने की असंतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष से अपेक्षा की गयी कि वह बिना और विलम्ब के 31.5.2005 की बैठक और आज की बैठक में लिये गये निर्णयों पर समयबद्ध ढंग से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही स्वयं सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे। उनसे यह भी अपेक्षा की गयी कि आगामी बोर्ड बैठक का एजेन्डा आवश्यक रूप से 10.3.2006 तक सभी सदस्यों को उपलब्ध करवा दिया जाये।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(रामकृष्ण)
उपाध्यक्ष

(मोहिन्दर सिंह)
अध्यक्ष,

सचिव